सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चूरू

(पीठासीन अधिकारी –सुनील कुमार I आर.ए.एस.)

अपील संख्याः–2025/59 दर्ज तिथिः–12.06.2025

1. सगीर पुत्र मनीर जाति लोहार निवासी रतननगर तहसील जिला चूरू

.................प्रार्थी

बनाम

1. शौकतअली पुत्र मनीर जाति लोहार निवासी रतननगर तहसील व जिला चूरू
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू
3. उप पंजीयक महोदय, पंजीयन कार्यालय, चूरू (राज.)

..................अप्रार्थीगण

उपस्थित अधिवक्ता
अपीलार्थीः– हसन खां
प्रत्यर्थीः– अनुपस्थित

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–212
राजस्थान काश्तकारी अधिनिधयम अधिनियम–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–17.10.2025

1. प्रार्थी की ओर से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 690 तादादी 10.0665 हैक्टेयर रोही ग्राम रतननगर पटवार हल्का रतननगर भू.अ.नि. वृत रतनगनगर में स्थित चली आ रही है जिसके वर्तमान खाता संख्या 356 व पुराना खाता संख्या 314 है। जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा है चला आ रहा है। अपने–अपने हिस्से अनुसार काश्त करते आ रहे है परन्तु इनके मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है इसलिए हिस्सा कसी को लेकर विवाद रहता है तथा भविष्य में विवाद बढने तथा हिस्सेदार बढने की संभावना है। अप्रार्थीगण विधिवत विभाजन करवाने से पूर्व दीगर व्यक्तियों को बेचने की फिराक में है तथा इसके लिए बाला–बाला ग्राहक भी तैयार कर रखे है इसलिए प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि इसलिए प्रार्थी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वो अपने हिस्से की कृषि भूमि का विधिवत विभाजन करवा लेवें। प्रार्थी शान्तिप्रिय व्यक्ति है और वो अपने हिस्से की कृषि भूमि को विधिवत अपने कब्जे में रखना चाहता

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:15:10 IST
Reason: SelfAttested

है लेकिन विधिवत खाता विभाजन नहीं होने से प्रार्थी के कब्जा काश्त में व्यवधान पहूंचता है तथा हिस्सा कसी को लेकर विवाद बना रहता है। उक्त कृषि भूमि में प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 01 अपने—अपने हिस्सा अनुसार बाहमी बंटवारा कर काश्त करते चले आ रहे है मगर वादगत कृषि भूमि का अभी तक विधिवत विभाजन नहीं हुआ है अविभाजित चली आ रही है इस कारण हिस्सा कस्सी तथा सीमांकन को लेकर विवाद रहता है और भविष्य में विवाद बढने की भी संभावना है तथा अप्रार्थी दीगर व्यक्तियों को विधिवत विभाजन करवाने से पूर्व विक्रय करने की ताक मे है जिसने प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी काश्तकारी हिस्से की भूमि को विधिवत विभाजन किये बिना विक्रय करने की बात को मानने से इन्कार कर दिया व कहा कि जब भी मौका मिलगा मै मेरे हिस्से की भूमि को विक्रय करके रहूंगा। तुम्हे अगर विभाजन करवाना है तो कौर्ट में जाओ। इसलिए जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश अप्रार्थी संख्या 01 को रोका जाना आवश्यक है कि अप्रार्थी संख्या 01 को रोकार जाना आवश्यक है कि अप्राथी उक्त कृषि भूमि का बिना विधिवत विभाजन ह ुए विक्रय नहीं करे और न ही प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी तरह की बाधा डाले ना ही ऐसा कोई कार्य या अपकार्य करे जिससे प्रार्थी के हितों पर वितरीत प्रभाव पड़े। वादगत कृषि भूमि में प्रार्थी 1/2 हिस्से का रिकॉर्डेड खातेदार होने से प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में बखुबी प्रमाणित है तथा इस अपने हिस्से की कृषि भूमि पर प्रार्थी का ही कब्जा काश्त होने से सुविधा का संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बनता है। अगर अप्रार्थी उक्त कृषि भूमि में से प्रार्थी का हिस्सा में कब्जा कर लेता है या किसी प्रकार की बाधा कारित करता हैं तो प्रार्थी को अपूर्तीनिय क्षति होगी। इसलिए तीनो सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में बखुबी साबित है। अतः श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ता फैसला दावा अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावपे कि उपरोक्त प्रार्थना—पत्र की मद संख्या 02 में वर्णित कृषि भूमि खेत खसरा 690 तादादी 10.0665 हैक्टेयर रोही ग्राम रतननग पटवार हल्का रतननगर भु.अ.नि. रतननगर जिसके वर्तमान खाता संख्या 356 व पुराना खाता संख्या 314 है में प्रार्थी के हिस्सा 1/2 बाबत बिना विधिवत विभान किये राजस्व रिकॉर्ड एवं मौका की यथा स्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थी के कब्जा काश्त उपयोग उपभोग में दखल अंदाजी न करे ना ही प्रार्थी को जबरन बेदखल करे ना ही ऐसा कोई अपकार्य करे जिससे प्राथ्री के हितों पर विपरीत असर पड़े तथा मौका व रिकॉर्ड की यथा स्थिति बनाये रखे एवं अप्रार्थी संख्या 03 को आदेशित किया जावे कि ता फैसला दावा उपरोक्त कृषि का हस्तान्तरण बाबत दस्तावेज पंजिबद्ध न करे।

2. प्रार्थना—पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया विधिवत तामील के बावजूद न्यायालय में उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया इसलिए इनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। तथा अधिवक्ता प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस पर गौर किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:15:10 IST
Reason: SelfAttested

3. प्रार्थी ''सगीर पुत्र मनीर'', जाति लोहार, निवासी रतननगर, द्वारा यह प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956 की धारा 212 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी ने यह निवेदन किया है कि खेत खसरा संख्या ''690'', रकबा ''10.0665 हैक्टेयर'', जो कि ''ग्राम रतननगर'' में स्थित है, प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 (शौकत अली पुत्र मनीर) की ''संयुक्त खातेदारी काश्तकारी भूमि'' है। प्रार्थी के अनुसार दोनों पक्ष भूमि पर अपने–अपने हिस्से अनुसार काश्त करते आ रहे हैं, किंतु अब तक ''विधिवत विभाजन नहीं हुआ है'', जिससे भविष्य में विवाद की आशंका है। प्रार्थी ने यह आरोप भी लगाया है कि ''अप्रार्थी संख्या 1 उक्त भूमि को विधिवत विभाजन से पूर्व ही अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने की फिराक में है'', जिससे प्रार्थी के हितों को अपूरणीय क्षति पहुँच सकती है। न्यायालय द्वारा प्रतिवादियों को विधिवत समन तामील करवाया गया, किंतु कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अतः न्यायालय द्वारा यह मामला ''एक पक्षीय'' रूप से निस्तारित किया जा रहा है। प्रस्तुत वाद में तीन मुख्य सिद्धांतों पर न्यायालय ने विचार किया:

. ''प्रथम दृष्टया मामला (Prima Facie Case):'' प्रार्थी के रिकॉर्ड में 1/2 हिस्से की खातेदारी सिद्ध है।

''अपूर्वनीय क्षति का सिद्धांत (Irreparable Loss):'' यदि भूमि का विभाजन से पूर्व विक्रय हो गया या कब्जा छीन लिया गया, तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

''सुविधा का संतुलन (Balance of Convenience):''भूमि की यथास्थिति बनाए रखने में ही दोनों पक्षों के हित सुरक्षित रहेंगे। उक्त तीनों सिद्धांत प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होते हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त तथ्यों, बहस के उपरान्त यह न्यायालय निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित करता है:'' कि ''अप्रार्थी संख्या 01 (शौकत अली)'' को यह निर्देशित किया जाता है कि वह खसरा संख्या ''690'', रकबा ''10.0665 हैक्टेयर'', खाता संख्या 356 (पुराना 314) में स्थित कृषि भूमि को ''विधिवत विभाजन किये बिना विक्रय नहीं करेगा'', न ही प्रार्थी के ''कब्जा, काश्त, उपयोग या उपभोग में कोई बाधा'' उत्पन्न करेगा, और न ही प्रार्थी को ''जबरन बेदखल'' करेगा ''राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथा स्थिति'' ता–फैसला दावा कायम रखी जाए। अप्रार्थी संख्या 03 (उप पंजीयक, पंजीयन कार्यालय चूरू)'' को निर्देशित किया जाता है कि ता–फैसला दावा, उक्त भूमि से संबंधित ''कोई विक्रय अथवा हस्तांतरण दस्तावेज पंजीबद्ध नहीं करेगा।''

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 16.10.2025 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार–1)
उपखण्ड अधिकारी
(चूरू) चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:15:10 IST
Reason: SelfAttested